रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2010/चैत्र 18, 1932
No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2010/CHAITRA 18, 1932

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 297(अ).—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार वायुयान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या के सा.का.नि. 9, तारीख 12 जनवरी, 2010 संख्यांक द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गईं थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, जनसाधारण को तारीख 16 जनवरी, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और प्रारूप नियमों की बाबत उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची II के खंड 'क' के पैरा 7 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) इस अनुसूची के अधीन अनुज्ञप्ति, रेटिंग या टाइप रेटिंग जारी करने के लिए तकनीकी और अन्य परीक्षाएं, वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति और विमान सेवा परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति के सिवाय अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले ढाई वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएंगी, और वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति एवं विमान सेवा परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए ऐसी अवधि पांच वर्ष की होगी ।"

[फा. सं. ए.वी. 11012/20/2009-ए]

प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 16 अक्तूबर, 2009 को प्रकाशित सा.का.नि. 757(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2009 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2010

G.S.R. 297(E).—Whereas the draft of the Aircraft (Amendment) Rules, 2010 further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 9, dated the 12th January, 2010, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty five days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 16th January, 2010;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (1st Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule II, in Section 'A', in paragraph 7, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The technical and other examinations for the issue of a licence, rating or type rating under this Schedule shall be completed within a period of two and a half years immediately preceding the date of application for the issue of the licence or rating, except for issue of Commercial Pilot's Licence (CPL) and Airline Transport Pilot's Licence (ATPL), and for issue of CPL and ATPL, such period shall be five years."

[F. No. AV. 11012/20/2009-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R. 757(E), dated the 14th October, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), on the 16th October, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.